

कारोबारी भाइयों, बहनों... आप अकेले नहीं हैं! महामारी के इस मुश्किल समय में पूरा देश आपके साथ खड़ा है!



व्यवसायी, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगों (MSMEs) को और गति देने के लिए कम ब्याज पर 3 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आप किसी भी बैंक की शाखा या पोर्टल पर जाकर ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- आपके ऋण की 100% गारंटी देगी भारत सरकार, कोई सिक्युरिटी भी नहीं देनी होगी।
- एक साल तक मूलधन की किश्त पर भी मिलेगी छूट।

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म-लघु-माध्यम उद्योगों (MSMEs) की परिभाषा फिर से बदली।

- Ease of doing business को बढ़ावा मिलेगा।
- सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगों को बड़ा बनने का अवसर मिलेगा।

200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीदी में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे।

- इससे भारत के सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगों को विशेष रूप से लाभ होगा।

MSMEs के लिए डिस्ट्रेस असेट फंड / सबऑर्डिनेट डेट स्कीम मंजूर।

- 20,000 करोड़ रुपए की योजना।
- इस योजना से लगभग 2 लाख MSMEs लाभान्वित होंगे।

MSMEs में इक्विटी के लिए 50,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स को मंजूरी।

- इक्विटी की मंजूरी से MSMEs के विकास में आने वाली चुनौतियां खत्म होंगी।
- सरकार एवं प्राइवेट क्षेत्र के फंड मिलकर इस योजना को लागू करेंगे।

प्रधानमंत्री ने MSME मिनिस्ट्री का सिंगल विंडो पोर्टल - चैम्पियंस लांच किया। (www.champions.gov.in)

- उद्यमी अपनी शिकायतें पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं।

जब आप ये जंग जीतेंगे, तभी देश जीतेगा



“हमारे MSME करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है,
जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मज़बूत आधार है।”

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

